

S.D.O. Pali

12.3.19

बल्लुलाय डयण
वकील दाधी संशोधन हेतु डा.पत्रा पेश
कारने हेतु आवश्यक चाहते है जो -घाच
हित में सब डॉलरम आवश्यक दिया जाता
है। प्रशासकीय दिनांक 25.03.2019
को पेश हो।

सहायक कलेक्टर
पाली (राज.)

25.3.19

बल्लुलाय डयण
वकील दाधी ने डा.पत्रा इस्तुत कर रिक्वेस्ट
किया कि दाधी दाधीना-पत्रा को आगे चलाना
नहीं चाहते है दाधी दाधीना-पत्रा पुनः

पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते
 इस विद्वान करमा चाहता है। डा. पत्र
 पुनः पेश करने के अधिकार को सुरक्षित
 रखते इस जाद्वेये विद्वाने खारिज करने
 का निर्देश किया। अतः डा. पत्र का डा. पत्र
 पत्र स्वीकार किया जाकर धारा 251 A
 R.T. Act, 1955 के तहत पुनः डा. पत्र
 पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते
 इस डा. पत्र का डा. पत्र 11/5/25 (A) R.T.
 Act, 1955 का जाद्वेये विद्वाने खारिज किया
 जाता है। पत्रावली मैसल में सुरक्षा हेतु
 दायरे दफ्तर की जावे।

सहायक कलेक्टर
 पाली (राज.)